

भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1433
19 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात उत्पादन का विकारबनीकरण

1433. श्री मोहम्मद नदीमुल हक:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि इस्पात उत्पादन से सालाना लगभग 242 मेगा टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है और वर्ष 2030 तक इसके दोगुना होने की उम्मीद है;
- (ख) क्या सरकार ने इस्पात उत्पादन की प्रक्रिया में इस कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने शुद्ध शून्य कार्बन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए कोई आंतरिक रणनीति बनाई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) जलवायु परिवर्तन के कारण इस क्षेत्र पर संभावित वित्तीय प्रभाव क्या हो सकता है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए क्या पहल की योजना बनाई गई है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री

(श्री फगन सिंह कुलस्ते)

(क): वर्ष 2016 के लिए युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) को भारत की नवीनतम द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट (बीयूआर) में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी) द्वारा सूचित लौह एवं इस्पात क्षेत्र का उत्सर्जन 135.420 मिलियन टन सीओ₂ था। वर्ष 2030 में लौह एवं इस्पात क्षेत्र का उत्सर्जन उस समय इस्पात के वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगा।

(ख) और (ग): इस्पात मंत्रालय वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, अल्पावधि (वित्त वर्ष 2030) में ऊर्जा एवं संसाधन दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि को बढ़ावा देकर कार्बन उत्सर्जन में कमी करने पर ध्यान दिया गया है। मध्यावधि (2030-2047) में हरित हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर, उपयोग एवं भंडारण पर ध्यान दिया गया है। दीर्घावधि (2047-2070) में परिवर्तनकारी वैकल्पिक

प्रौद्योगिकीय नवाचार निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकते हैं। इस उद्देश्य के लिए, इस्पात मंत्रालय विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर संपर्क में है। वित्त वर्ष 2022 में, संपन्न हुई संसदीय परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें इस्पात क्षेत्र में अकार्बनीकरण एवं संसाधन दक्षता में सुधार को समर्पित थीं।

इस्पात उद्योग में अकार्बनीकरण को बढ़ावा देने हेतु किए गए अन्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (1) इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति, 2019 इस्पात निर्माण में कोयले की खपत को कम करने के लिए स्वदेशी रूप से उत्पादित स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाती है।
- (2) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने हरित हाइड्रोजन के उत्पादन तथा उपयोग के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की है। इस्पात क्षेत्र को भी इस मिशन में एक हितधारक बनाया गया है।
- (3) मोटर वाहन (वाहन विखंडन सुविधा का पंजीकरण एवं कार्य) नियम सितंबर, 2021 इस्पात क्षेत्र में स्क्रैप की उपलब्धता को बढ़ाएगा।
- (4) एमएनआरई द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी सहायता प्रदान करता है।
- (5) नेशनल मिशन फॉर एन्हांस्ड एनर्जी एफिशिएन्सी के अंतर्गत परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) योजना ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहित करती है।
- (6) इस्पात क्षेत्र ने आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण परियोजनाओं में वैश्विक रूप से उपलब्ध श्रेष्ठ उपलब्ध प्रौद्योगिकियों (बीएटी) को अपनाया है।
- (7) जापान के नवीन ऊर्जा एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) मॉडल परियोजनाओं को इस्पात संयंत्रों में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए कार्यान्वित किया गया है।

(घ) और (ङ): जलवायु परिवर्तन के कारण इस्पात क्षेत्र पर वित्तीय प्रभाव वर्ष 2070 तक निवल-शून्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उठाए गए वास्तविक उपायों पर निर्भर करेगा।
